



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 अश्विन 1943 (श0)

(सं0 पटना 800) पटना, वृहस्पतिवार, 23 सितम्बर 2021

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना

9 जुलाई 2021

सं० कारा/स्था०(अरा०)—01/36/2018/5567—भारत—संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय के अंतर्गत, प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** — (i) यह नियमावली “कारा एवं सुधार सेवाएँ, प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली, 2021” कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।** —इस नियमावली में, जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(i) ‘सरकार’ से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) ‘विभाग’ से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट गृह विभाग;

(iii) ‘आयोग’ से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग; अथवा गृह विभाग (कारा) द्वारा प्राधिकृत अन्य आयोग/भर्ती एजेन्सी

(iv) ‘नियुक्ति प्राधिकार’ से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना;

(v) ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है “कारा एवं सुधार सेवाएँ, प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग।

3. **संवर्ग का गठन।** —

(i) प्रयोगशाला प्रावैधिक का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा और स्थानान्तरण एवं पदस्थापन करने की शक्ति महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना की होगी।

(ii) इस संवर्ग में प्रत्येक पदसोपान में पदों की संख्या एवं उनकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गई है तथा भविष्य में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अथवा अधिसूचित की जायेगी।

(iii) इस संवर्ग के पदों का वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाएगा।

4. **संवर्ग का पदसोपान।**—इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ अर्थात् पदसोपान निम्नवत् होगा :—

क्रमांक	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	प्रयोगशाला प्रावैधिक	मूल कोटि	अराजपत्रित
2	प्रयोगशाला प्रावैधिक पर्यवेक्षक	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	अराजपत्रित

5. **भर्ती।**—इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (प्रयोगशाला प्रावैधिक) के पद पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

6. **अर्हताएँ।**—(i) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट/+2 (भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव-विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा।

(ii) प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु-सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की पहली अगस्त को, उम्र के गणनार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. **भर्ती की प्रक्रिया।**—(i) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की पहली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(ii) भर्ती की प्रक्रिया एवं मानदंड वही होगा जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग के लिए निर्धारित होगा।

(iii) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची रिक्ति के अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार कर आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा सूची नियुक्ति प्राधिकार को सौंप दी जायेगी।

(iv) आयोग से प्राप्त अनुशंसा सूची के आधार पर प्रयोगशाला प्रावैधिक के पद पर नियुक्ति की कार्यवाई नियुक्ति प्राधिकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

8. **परिवीक्षा अवधि।**—नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रयोगशाला प्रावैधिक को सेवामुक्त कर सकेगा।

9. **सम्पुष्टि।**—परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने पर प्रयोगशाला प्रावैधिक को सेवा में सम्पुष्टि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।

10. **वरीयता।**—प्रयोगशाला प्रावैधिक की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा निर्धारित मेधासूची के अनुसार होगी।

11. **प्रोन्नति के सोपान।**—(i) सेवा में सम्पुष्टि प्रयोगशाला प्रावैधिक को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए वरीयता-सह-योग्यता के अनुसार संवर्ग के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(ii) प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत, कालावधि संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा। प्रोन्नति के संदर्भ में चारित्री या पी0ए0आर0, मुहरबन्द लिफाफा के अनुशंसा रखे जाने आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

12. **विभागीय प्रोन्नति समिति।**—प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

13. **आरक्षण।**—सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

14. **कंडिका-4 में अंकित पदसोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा।** यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग के पद-सोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो कंडिका-4 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद-सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

15. **अवशिष्ट मामले।**—इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

16. **निर्वचन।**—यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो इस संबंध में गृह विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

17. **कठिनाई का निराकरण।**—यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।

18. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**—(क) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे संकल्प, अनुदेश आदि में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

The 9th July 2021

No. (Kara / Est. (Ara) -01-36 / 2018)/5567-In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for appointment in the Lab Technician Cadre and regulation of other service conditions for Prison and Correctional Services.

1. Short title, extent and commencement :-

(i) This rule may be called "Prison and Correctional Services, Lab Technician Cadre Rules, 2021".

(ii) It shall extend to the whole State of Bihar.

(iii) It shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. Definition:- In these Rules, unless otherwise requires in the subject or context :-

(i) 'Government' means the State Government of Bihar;

(ii) Department means The Home Department as mentioned in Executive Rules.

(iii) "Commission "means Bihar Technical Services Commission, or other commission / recruitment agency authorized by the Home Department (Kara).

(iv) 'Appointing Authority' means Inspector General, Prison & Correctional Services, Bihar.

(v) 'Cadre' means Prison & Correctional Services, Lab Technician Cadre;

3. Constitution of the cadre:-

(i) The cadre of Lab Technician will be state level and the power to transfer and posting will be to the Inspector General, Prison and Correctional Services, Home Department (Kara), Bihar, Patna.

(ii) Number of Posts in each category and their total number shall be such as it has been determined by the Government and in future as it will be sanctioned or notified by the Government from time to time.

(iii) The pay scale of the posts of this cadre shall be the same as it will be sanctioned or notified by the Government, from time to time.

4. Constitution of the Cadre:- Hierarchy of the cadre shall be as follows:-

Sr No.	Name of Post	Category	Status
1	Lab Technician	Basic Category	Non-gazetted
2	Lab Technician Supervisor	First Promotion Level	Non-gazetted

5. Recruitment:-

The appointment in this cadre will be based on the post of Basic Category (Lab Technician) on the recommendation of the Commission.

6. Qualifications:-

(i) For direct recruitment to the post of basic category, The minimum Educational Qualification Shall be Intermediate/ +2 (Physics, Chemistry, Biology with English) and Passing Lab Technician diploma course from a Government recognized institution and a Certificate related there to shall be necessary.

- (ii) For direct recruitment to the post of Lab Technician Cadre The minimum age-limit shall be 18 years and maximum age limit shall be the same as may be determined reservation category wise, from time to time, by the Government. 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.
7. **Procedure of recruitment:-**(i) The appointing authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation category wise requisition to the Commission latest by 30th April.
(ii) The procedure and criteria of recruitment will be the same as prescribed by the Health Department for the Lab Technician Cadre.
(iii) The merit list of the finally successful candidates will be prepared according to the vacancy reservation quota and the commission will submit its recommendation list to the appointing authority.
(iv) On the basis of the list of recommendations received from the Commission, the appointment to the post of Lab Technician Cadre will be processed by the appointing authority or the officer authorized by him.
8. **Probation period:-** After the appointment, the candidate will be on probation. The probation period will be of two years. In case the service is not found satisfactory during the probation period, the probation period will be extended for one year. If the service is not found to be satisfactory even during the extended period, then the service can be relieved.
9. **Confirmation:-** The Appointing Authority can make such Lab Technician Service confirmed only after satisfactory completion of the probation period.
10. **Seniority:-** The Inter-Se-Seniority of Lab Technician shall be according to the merit list as determined by the commission.
11. **Post Chain of Promotion:-**
(i) Subject to availability of vacancies, confirmed Lab Technicians may be considered for promotion, according to seniority-cum-merit, to the higher post.
(ii) For consideration of promotion compliance of instructions regarding KALAWADHI issued by the General Administration Department from time to time, shall be necessary. Compliance of instruction issued by the General Administration Department regarding character Roll or PAR, maintenance of recommendation in the sealed cover, etc in the context of promotion, shall be necessary at the time of consideration of promotion.
12. **Departmental Promotion Committee:-** Promotions will be on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Prisons and correctional services inspectorate.
13. **Reservation:-** It will be essential to comply the provisions of the Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment as well as promotion, issued by the Government from time to time.
14. The chain of posts mentioned in para-4 shall be effective only after approval of the Government. If, in course of consideration of approval, any modification or amendment is made by the Government in the chain of posts mentioned in para-4, then the para-4 shall be deemed to be modified or amended accordingly and such modified/amended chain of posts shall be deemed to be the part of these Rules.

15. **Residue Matters:-**The provisions of relevant Codes/Rules/ Resolutions /Instructions of the Government shall apply to such subjects for which no provision is made in these Rules.
16. **Removal of doubts:-**If any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, in this respect decision of the Home Department shall be final.
17. **Removal of difficulties:-**If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the Department shall have powers to remove such difficulty.
18. **Repeal and Savings:-**
 - (i)The Rule, and all resolutions, circulars, orders issued are hereby repealed.
 - (ii)Not withstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules, resolutions, circulars, orders shall be deemed to be done or taken under these Rules as if these Rules were enforced on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
Rajnish Kumar Singh,
Joint Secretary-Cum-Director (Admin.),
Prisons & Correctional Services.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 800-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>